परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्र संख्याः3602एमटी/19-147mT/91(C)

दिनांक02-12-2019

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
2. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय :— निगम वाहनों के नियमित प्रदूषण जाँच के सम्बन्ध में।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा एन0सी0आर0 क्षेत्र में संचालित वाहनों के प्रदूषण की औचक जाँच करायी जा रही है। जाँच में Visibly Polluting वाहनों का भी चालान किया जा रहा है। इस जाँच के दौरान परिवहन निगम की कुछ बसों में प्रदूषण का स्तर अधिक पाये जाने के कारण भारी जुर्माना किया गया है। यह अत्यंत खेदजनक है।

परिवहन निगम की बसों के प्रदूषण की नियमित जाँच कराने तथा पाई गयी कमियों को दूर करने के लिए समय–समय पर मुख्यालय द्वारा निर्देशित किया जाता रहा है।

उक्त हेतु पुनः निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते है :—

1. दिल्ली मार्ग पर संचालित बसों की प्रत्येक तीन माह में प्रदूषण की जाँच करायी जाये तथा अन्य बसों में प्रत्येक 6 माह पर प्रदूषण जाँच अवश्य करायी जाय।
2. प्रत्येक बस में समुचित स्थान पर वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र चस्पा किया जाये।
3. मार्ग पर भेजे जाने से पूर्व किये जाने वाले 13 बिन्दुओं की जाँच में धुंयें की जाँच सम्मिलित की जाय तथा इसको अन्य बिन्दुओं की भाँति रजिस्टर पर अंकित किया जाये।
4. वाहन को मार्ग पर भेजने से पूर्व वाहन की जनरल चेकिंग के समय इंजन को स्टार्ट कर पूरी रेस देकर चेक किया जाये कि वाहन उचित स्तर से अधिक सफेद या काला धुंआ तो नहीं दे रही है।
5. जिन क्षेत्रों में डीजल स्मोक टेस्टर उपलब्ध है। उन क्षेत्रों में प्रतिदिन न्यूनतम 10 बसों की प्रदूषण जाँच डीजल स्मोक टेस्टर द्वारा अवश्य की जाये।
6. बसों के इंजन ट्यूनिंग एवं इंजेक्टर टेस्टिंग का कार्य निर्धारित शिड्यूल मेन्टीनेंस पर तथा आवश्यकतानुसार समय–समय पर कराया जाय।
7. एफआई पम्प, इंजेक्टर एवं फ्यूल सिस्टम से सम्बन्धित एसेम्बली के रिपेयरिंग का कार्य यथा सम्भव कार्यशाला के अन्दर ही किया जाये। वाहय श्रोत से कराये जाने की स्थिति में मैसर्स बॉस के अथराइज्ड सेन्टर से ही कार्य कराया जाये।
8. फ्यूल सिस्टम में लगने वाले पार्टस, एयर फिल्टर,डीजल फिल्टर एवं ऑयल फिल्टर समय से बदले जायें तथा जिन्यून मानक के ही प्रयोग किये जाये।
9. प्रदूषण नियंत्रण की महत्ता को देखते हुए सभी सम्बन्धित अधिकारी, दिनांक–05.12.2019 तक सभी बसों की PUC जाँच व Visible Smoke Emmession Inspection करवा कर प्रदूषण करने वाले वाहनों को चिन्हित कर उनकी सूची इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे। तत्पश्चात् प्रदूषण करने वाले समस्त बसों को दिनांक–15.12.2019 तक ठीक कराकर, प्रमाण सहित मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रावि0), को सूचित करेंगे। यदि इसके उपरान्त कोई भी वाहन काला,कच्चा या सफेद धुआं देने वाली बस मार्ग पर चलते पायी गयी तो पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। दिनांक–10.12.2019 को होने वाली वीडियो कान्फ्रेन्सिग में इसका पूर्ण अनुश्रवण किया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(डा. राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सहायक प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक,परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचा0/प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।

(डा. राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक